



2026:AHC:129143

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 18442/2026

सद्दाम हुसैन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : मनोज कुमार श्रीवास्तव

विपक्षीगण के अधिवक्ता : जी0ए0

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के ए0जी0ए0 की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, विद्वान ए0जी0ए0 का कहना है कि ज़मानत अर्ज़ी लंबित होने के बारे में सूचना पहले शिकायतकर्ता/विपक्षी संख्या 2 को भेज दी गई है। सूचना मिलने के बावजूद, विपक्षी संख्या 2 की ओर से इस ज़मानत अर्ज़ी का विरोध करने के लिए कोई भी पेश नहीं हुआ है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. यह ज़मानत अर्ज़ी, मुकदमा अपराध संख्या 05/2026 आईपीसी की धारा 376(2)(एन), 384, 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(एल)/6 के तहत, पुलिस स्टेशन- आंवला, ज़िला- बरेली में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।

4. अधिवक्ता के अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। पीड़िता के जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार, उसकी जन्म तिथि 10.04.2005 है, इसलिए, 03.01.2026 को एफआईआर दर्ज होने के समय पीड़िता की उम्र लगभग 21 वर्ष थी, और इस मामले में पॉक्सो अधिनियम गलत और गैर-कानूनी तरीके से दर्ज किया गया है। आगे यह भी कहा गया कि कथित घटना 08.06.2021 को हुई थी, जबकि एफआईआर 03.01.2026 दर्ज की गई थी। एफआईआर डेढ़ साल से भी ज्यादा समय बाद दर्ज की गई थी, और एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी के बारे में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। पीड़िता का आरोप है कि 08.06.2021 को उसके साथ बलात्कार किया गया था, हालांकि, उसने इस मामले की सूचना किसी को नहीं दी। उसकी बहन की शादी अक्टूबर 2024 में हुई थी, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई थी। आगे यह भी कहा गया है कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि आवेदक ने उसके साथ 3-4 बार बलात्कार किया। उसने घटना की कोई तारीख, समय और जगह नहीं बताई। पीड़िता का बयान विश्वसनीय नहीं है, और उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक 03.03.2026 से जेल में बंद है और अगर उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए0जी0ए0 उन्होंने कहा कि आवेदक की जमानत की अर्ज़ी का विरोध किया गया और कहा गया कि आवेदक के अपराध में शामिल होने के संबंध में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह ज़मानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों, आवेदक द्वारा जेल में बिताई गई अवधि और उसके कोई आपराधिक इतिहास न होने पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आवेदक ज़मानत पाने का हकदार है।

7. इसके अनुसार, ज़मानत की अर्ज़ी **मंज़ूर** की जाती है।

8. आवेदक **सद्वाम हुसैन**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल है, को संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत मुचलका और दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह नीचे दी गई शर्तों का पालन करे। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह लिखित वचन देना होगा कि जब गवाह अदालत में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य पेश करने के लिए तय तिथि पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर वह इस शर्त का पालन नहीं करता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की शर्त का पालन करने वाले कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(ii) आवेदक को तय तारीखों पर विचारण न्यायालय में खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से मौजूद रहना होगा। यदि वह बिना किसी ठोस कारण के गैर-हाजिर रहता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 229-ए / बी0एन0एस0 की धारा 269 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

(iii) अगर आवेदक सुनवाई के दौरान ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 82/बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय कानून

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के अनुसार आईपीसी की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगी।

(iv) आवेदक को इन तारीखों पर सजा होने वाली अदालत के सामने खुद पेश होना होगा: (1) सुनवाई शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) सीआर0पी0सी0 की धारा 313/बी0एन0एस0एस0 की धारा 351 के तहत बयान दर्ज किया जा रहा है। यदि विचारण न्यायालय को लगता है कि ठोस आधार के खिलाफ ठोस कार्रवाई या बिना किसी ठोस कारण के गैर-हाज़िर है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आजादी का ग़लत इस्तेमाल मान सकती है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से माननीय विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

25 जून, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"